कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 314/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 13.08.2026**

थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡️ *थाना सिधारी पुलिस एवं साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड के ₹5,000/- पीड़ित के खाते में कराए गए वापस*

➡️ *साइबर ठगी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही, पीड़ित को धनराशि वापस दिलाकर किया गया जागरूक*

घटना का विवरण–

आवेदक शिवांग विश्वकर्मा पुत्र राजेश विश्वकर्मा निवासी बेलनाडीह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि वह Instagram चला रहे थे। इसी दौरान बिना किसी जानकारी के उनके बैंक खाते से धनराशि कटने का SMS प्राप्त हुआ। जानकारी करने पर उनके साथ साइबर फ्रॉड होने की जानकारी हुई।

घटना के संबंध में आवेदक द्वारा *साइबर क्राइम हेल्पलाइन/पोर्टल पर शिकायत संख्या–33101260001290* दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा *साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए त्वरित कार्यवाही* की गई।

कृत कार्यवाही/ बरामदगी-

पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए **साइबर फ्रॉड की *₹5,000/- की धनराशि*** *पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।* धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

/पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता-

पुलिस टीम द्वारा पीड़ित को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात/फर्जी फोन कॉल पर अपनी **निजी जानकारी, बैंक विवरण** अथवा **OTP** साझा न करें। पैसों का लेन-देन जल्दबाजी में न करें तथा किसी भी लिंक/मैसेज पर बिना जांचे क्लिक न करें।

यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो *तत्काल* ***साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930*** पर शिकायत करें अथवा ***राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल*** पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही नजदीकी थाने पर स्थापित **साइबर हेल्प डेस्क** से भी तत्काल संपर्क करें।

पुलिस टीम का विवरण–

म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, का0 महेश कुमार, का0 पवन गुप्ता, का0 सोनू कुमार, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़।

थाना–जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ *किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मुकदमे में वांछित 21 वर्षीय अभियुक्त गिरफ्तार*

➡️ *जीयनपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही, कंजरा दिलशादपुर बाजार से हुई गिरफ्तारी*

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 16.05.2026 को *वादिनी* द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी किशोरी पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर *मु0अ0सं0 219/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस* पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में *धारा 65(1) बीएनएस एवं 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट* की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 13.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी एवं प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा अभियुक्त *राजा पासवान पुत्र महेन्द्र पासवान निवासी ग्राम चापर, थाना मोइनुद्दीन नगर, जनपद समस्तीपुर, बिहार, उम्र करीब 21 वर्ष* को *कंजरा दिलशादपुर बाजार* से आज दिनांक 13.08.2026 को समय करीब *09:15 बजे* नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
राजा पासवान पुत्र महेन्द्र पासवान
निवासी– ग्राम चापर, थाना मोइनुद्दीन नगर, जनपद समस्तीपुर, बिहार उम्र– करीब 21 वर्ष
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 219/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अजीत चौहान, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

➡️ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त जेवरात के साथ गिरफ्तार

➡️ थाना निजामाबाद पुलिस की त्वरित कार्यवाही, अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता के जेवरात बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास–
दिनांक 02.03.2026 को *वादिनी मुकदमा* द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दी गई कि उनकी 16 वर्षीय किशोरी को अभियुक्त अल्तमस अंसारी पुत्र अतहर अंसारी निवासी तोवा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर परिवार के जेवरात के साथ अपने साथ ले जाया गया। खोजबीन के दौरान अभियुक्त के अपने रिश्तेदारों के यहां रहने की जानकारी हुई, जहां पहुंचने पर वादिनी के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त प्रकरण में दिनांक 09.04.2026 को थाना निजामाबाद पर *मु0अ0सं0 83/2026 धारा 87, 137(2), 352, 351(3) बीएनएस* पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.08.2026 को महाराष्ट्र से किशोरी को बरामद किया गया। प्रकरण में बयान, साक्ष्य संकलन एवं मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर *धारा 64(2) बीएनएस एवं 5(J)(II)/6 पॉक्सो एक्ट* की बढ़ोत्तरी की गई।
गिरफ्तारी का विवरण–
आज दिनांक 13.08.2026 को उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर *शेरपुर तिराहे* से अभियुक्त *अल्तमस अंसारी पुत्र अतहर अंसारी निवासी तोवा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष* को समय करीब 10:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
अभियुक्त के कब्जे से एक काला बैग बरामद हुआ, जिसमें *कमरबंद, एक जोड़ी पायल, 16 पीस मीना, 4 अदद कंगन, एक अदद मंगलसूत्र, 2 पीस अंगूठी एवं एक जोड़ी झुमका* बरामद हुआ। बरामद आभूषणों की पहचान प्रकरण से संबंधित पीड़िता के जेवरात के रूप में की गई।
अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
अल्तमस अंसारी पुत्र अतहर अंसारी, निवासी– तोवा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र– करीब 20 वर्ष
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 83/2026 धारा 87, 137(2), 352, 351(3), 64(2) बीएनएस एवं 5(J)(II)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
बरामदगी–
एक अदद कमरबंद, एक जोड़ी पायल, 16 पीस मीना (सफेद धातु), 4 अदद कंगन, एक अदद मंगलसूत्र, 2 पीस अंगूठी एवं एक जोड़ी झुमका (पीली धातु)।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अवधेश सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 कुलदीप, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡️ ₹10,000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट एवं धमकी देने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस अड्डे से पकड़ा

पूर्व की घटना/इतिहास–
वादिनी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि लगभग 09 माह पूर्व उनकी मुलाकात अभियुक्त *गुलाब चौबे उर्फ संजय चौबे* से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा उसे अपने साथ मुम्बई ले जाकर करीब 04 माह तक किराये के मकान में रखा गया। शादी के लिए दबाव बनाने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा मारपीट कर वादिनी को आजमगढ़ रोडवेज पर छोड़कर चला गया। अभियुक्त द्वारा फोन पर गाली एवं धमकी देने का भी आरोप है। उक्त संबंध में दिनांक 17.04.2026 को थाना कोतवाली पर *मु0अ0सं0 169/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस* पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण–
आज दिनांक 13.08.2026 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति मय हमराह का0 नीरज कुमार एवं रि0का0 अमित कुमार यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित *₹10,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त गुलाब चौबे उर्फ संजय चौबे पुत्र नन्हे चौबे उर्फ भोला राम चौबे निवासी पचौली विशुनपुर मझवारा, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 42 वर्ष* को *रोडवेज बस अड्डा* से समय करीब 12:30 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
गुलाब चौबे उर्फ संजय चौबे पुत्र नन्हे चौबे उर्फ भोला राम चौबे, निवासी पचौली विशुनपुर मझवारा, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 42 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 169/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. का0 नीरज कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 अमित कुमार यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की

घटना का विवरण–
दिनांक 18.07.2026 को थाना जीयनपुर क्षेत्र निवासी महिला द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को अभियुक्त राजू कुमार द्वारा मोबाइल फोन पर लगातार सम्पर्क कर अपने जाल में फंसाया गया तथा शादी का झांसा देकर दिनांक 15.07.2026 को घर पर किसी के मौजूद न होने का लाभ उठाकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 310/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दल प्रताप सिंह द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी–
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के नेतृत्व में उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.08.2026 को अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त *राजू कुमार पुत्र रामसकल उर्फ रामप्रसाद, निवासी धुरियापार भवनपुर, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 21 वर्ष* को *श्याम स्वीट हाउस, जीयनपुर* से समय करीब 12:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही/कार्यवाही के क्रम में किशोरी *उम्र करीब 17 वर्ष* को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
राजू कुमार पुत्र रामसकल उर्फ रामप्रसाद, निवासी धुरियापार भवनपुर, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी–
किशोरी पुत्री श्री नागेन्द्र, निवासी ग्राम कालिकापुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 17 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 310/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दल प्रताप सिंह, हे0का0 राजेश कुमार हे0का0 शैलेश कुमार यादव थाना जीयनपुर, रि0का0 कर्णजीत विश्वकर्मा रि0म0का0 शिवांगी राय जनपद आजमगढ़।

थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡️ UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह से संबंधित एक और अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कराने की साजिश का पुलिस ने किया अनावरण

➡️ अभियुक्त के कब्जे से सैमसंग मोबाइल फोन बरामद

➡️ पूर्व में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल

घटना का विवरण–
दिनांक 09.08.2026 को शिब्ली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ में UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा के दौरान ब्लॉक-A के एक कक्ष में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी आलोक पटेल की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर कक्ष निरीक्षकों द्वारा उसकी तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान उसके कान के अन्दर से एक हियरिंग डिवाइस तथा अण्डरवियर के अन्दर से एक ब्लूटूथ डिवाइस, जिसमें सिम कार्ड लगा था एवं 02 सेल बैटरी बरामद हुई।
पूछताछ में अभ्यर्थी द्वारा बताया गया कि उसे एक व्यक्ति द्वारा उक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध करायी गयी थी तथा परीक्षा के दौरान बाहर से प्रश्नों के उत्तर बताकर उसे हल कराने की योजना थी। प्रकरण में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 414/2026 धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 तथा 66डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में पूर्व में अभियुक्त आलोक पटेल एवं विरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण–
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा मय कोबरा सिविल लाइन के रि0का0 अवधेश सिंह एवं रि0का0 उत्सव प्रताप सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से प्रकाश में आये अभियुक्त *कुश पटेल पुत्र बेचन राम पटेल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी सिहोरवा, थाना जन्सा, जनपद वाराणसी* को दिनांक 13.08.2026 को समय करीब 13:20 बजे *नरौली तिराहा बंधा मोड़* के पास से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पूछताछ में प्रकाश में आये तथ्य–
पूछताछ में अभियुक्त कुश पटेल द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के सम्पर्क में था। परीक्षा से एक दिन पूर्व विरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू द्वारा उससे अभ्यर्थी के माध्यम से परीक्षा में काम कराने के सम्बन्ध में बात की गयी थी। इसके बाद वह अन्य साथियों के साथ अरविन्द राय के सम्पर्क में आया, जहां हियरिंग डिवाइस एवं ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अभ्यास कराया गया तथा परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर बताने की योजना तैयार की गयी। इसके लिए अभ्यर्थी से 06 लाख रुपये लिये जाने की बात तय हुई थी।
अभियुक्त के अनुसार परीक्षा के दिन वह अपने साथियों के साथ अभ्यर्थी आलोक पटेल को लेकर वाराणसी से आजमगढ़ आया था। आलोक पटेल परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षा देने चला गया, जबकि अन्य लोग परीक्षा केन्द्र के बाहर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस की गतिविधियां बढ़ने एवं एक अभ्यर्थी के पकड़े जाने की जानकारी होने पर वे लोग मौके से फरार हो गये। प्रकरण में अन्य तथ्यों की जांच एवं संलिप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
कुश पटेल पुत्र बेचन राम पटेल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी सिहोरवा, थाना जन्सा, जनपद वाराणसी।
बरामदगी–
01 अदद सैमसंग मोबाइल फोन।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 414/2026 धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस एवं धारा 8, 11(6), 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 तथा धारा 66डी आईटी एक्ट-2008, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा,रि0का0 अवधेश सिंह,,रि0का0 उत्सव प्रताप सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।